

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil First Appeal No. 708/2026

Manmohan Son Of Shri Raghuveer Singh,

----Plaintiff-Appellant

Versus

Chatru & Ors.

----Deffendants-Respondents

For Appellant(s) : Mr. Ranvijay Singh, Adv.
Mr. Saurav Mehta, Adv.

For Respondent(s) :

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI

Order

07/05/2026

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक का बहस के दौरान यह कथन रहा है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने निर्णय दिनांक 24.03.2026 में विवाद्यक संख्या 1 को निर्णीत करते समय पक्षकारान के मध्य दिनांक 13.12.2012 को विवादित आराजी के इकरारनामे का निष्पादन होना माना है लेकिन विवाद्यक संख्या-2 वादी की तत्परता एवं इच्छुकता (Readiness & Willingness) से संबंधित था, परन्तु विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उक्त विवाद्यक का निर्णय वादी के विरुद्ध किया गया तथा सिर्फ इसी आधार पर वादी के द्वारा संस्थित वाद को निरस्त कर दिया। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक का यह तर्क भी रहा है कि इस न्यायालय की समकक्ष पीठ के द्वारा पारित विनिश्चय "राम रतन बनाम कल्ला व अन्य एकलपीठ सिविल द्वितीय अपील संख्या 414/1995 आदेश दिनांक 12.02.2025 में अभिनिर्धारित सिद्धान्त को मध्यनजर रखते हुए विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.03.2026 अपीलार्थी/वादी के पक्ष में निर्णित किया जाना चाहिए था।

अतः प्रत्यर्थीगण/परिवादीगण सिविल प्रथम अपील संख्या 708/2026 के अंतिम निस्तारण होने तक वादग्रस्त सम्पत्ति का रहन, विक्रय व बेचान ना करे, इस संबंध में अंतरिम निषेधाज्ञा पारित किये जाने का निवेदन किया।

स्थगन प्रार्थना पत्र संख्या 2231/2026 पर सुना गया, पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी/वादी के तर्कों को सुनने, पत्रावली का अवलोकन करने व समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यह आदेश दिया जाता है कि प्रत्यर्थीगण आगामी तारीख पेशी तक वादग्रस्त संपत्ति का रहन, विक्रय व बेचान नहीं करेंगे तथा आगामी तारीख पेशी पर प्रत्यर्थीगण के उपस्थित आने पर नये सिरे से दोनों पक्षों को सुनकर स्थगन के संबंध में आदेश पारित किया जावेगा।

प्रत्यर्थीगण/परिवादीगण को नोटिस की तामील होकर प्रकरण चार सप्ताह पश्चात सूचीबद्ध किया जावे।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J